



राज. नं. एम. डब्ल्यू./एन. पी. 890

लाइसेंस नं० डब्ल्यू पी०-41

माहर्षिन्स एंड बॉक्स एंड कन्सल्टिंग्स

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 14 अगस्त, 1997

श्रावण 23, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1131/सतह-वि-1--1 (क) 22-1997

लखनऊ, 14 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

1. "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 12 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अन्तर्गत संशोधन करने के

अधिनियम

भारत गणराज्य के अक्षांसीसर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1. यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 29
सन् 1974 द्वारा
यथासंशोधित
और पुनः अधि-
नियमित राष्ट्रपति
अधिनियम
संख्या 10 सन्
1973 की
धारा 2 का
संशोधन

धारा 5, 7-क
और 20 का
संशोधन

धारा 72-च का
संशोधन

अनुसूची का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है धारा 2 में, खण्ड (8) में शब्द "जिसे 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"जिसे 24 सितम्बर, 1995 से श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर कहा जायेगा,"

3—मूल अधिनियम की धारा 5, 7-क और 20 में शब्द "श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" रख दिये जायेंगे।

4—मूल अधिनियम की धारा 72-च को उसकी उपधारा (1) के रूप से पुनः संख्यांकित कर दिया जायेगा और इस प्रकार यथा पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक से, इस अधिनियम या किसी अन्य नियम, परिणियम, अध्यादेश, परिणियत, संलेख या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में कानपुर विश्वविद्यालय या श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति किसी निर्देश को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रति निर्देश समझा जायेगा।"

5—मूल अधिनियम की अनुसूची में, क्रम संख्या 5 के सामने स्वम्भ-2 में शब्द "श्री शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माधुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1131 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 22-1997

Dated Lucknow, August 14, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 12, 1997.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
ACT, 1997

[U. P. ACT NO. 12 OF 1997]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1997.

Amendment of
section 2 of
the President's
Act no. 10 of
1973 as amended
and re-enacted
by U. P. Act no.
29 of 1974

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (8), for the words "which shall from September 24, 1995 be called Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur" the following words shall be substituted, namely :—

"which shall be called Shri Shahu Ji Maharaj University, Kanpur with effect from September 24, 1995 and Chhatrapati Shahu Ji Maharaj

